प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 06.03.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना फूलबेहड़ पुलिस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटना का 24 घन्टे के अन्दर सफल अनावरण; 02 नफर अभियुक्तों को घटना से सम्बन्धित 2.50 लाख रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा थाना फूलबेहड़ पर पंजीकृत अभियोग 392/506 भादवि की घटना का 24 घन्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए 02 नफर अभियुक्तों कासिम अली पुत्र लायक अली व जानू अली पुत्र कासिम अली को घटना से सम्बन्धित 2,50,000 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 04.03.2023 को थाना फूलबेहड़ पर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेलिहान में 02 लाख 50 हजार रुपये की लूट की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 82/23 धारा 392/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की गम्भीरता को देखते हुए तत्समय क्षेत्राधिकारी धौरहरा के नेतृत्व में थाना फूलबेहड़ पुलिस व क्राइम ब्रान्च की 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीमों द्वारा सुरागरसी/पतारसी,

सर्विलांस सेल व ह्युमन इंटेलिजेन्स की मदद से वादी मुकदमा कासिम अली व उसके पुत्र जानू अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई व तार्किक ढ़ंग से पूंछताछ की गयी तो उन्होनें अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त कासिम अली उपरोक्त की उसके सगे भाई मोहम्मद शहीद उर्फ पप्पू से पैतृक बंटवारे का विवाद चल रहा था। जिसमे उनके पिता ने दोनों पुत्रों की संयुक्त जमीन को बेचकर 05 लाख 50 हजार रूपया जिला सहकारी बैंक फूलबेहड़ मे केवल अपने एक ही पुत्र कासिम अली के नाम जमा कर दिया था। जिसमें हिस्से को लेकर जानू अली व मोहम्मद शहीद के मध्य विवाद हो रहा था। दोनों अभियुक्तों द्वारा मोहम्मद शहीद को हिस्सा न देने के उद्देश्य से दिनांक 04.03.2023 को जिला सहकारी बैंक शाखा फूलबेहड़ से 2,50,000/- रु0 नकद निकालकर लूट की झूठी घटना प्रदर्शित कर महेवागंज स्थित अपने मकान में ईंटों के नीचे छिपा दिया था और अपने भाई मोहम्मद शहीद पर दबाव बनाने के उद्देश्य से मोहम्मद शहीद के साले जमशाद व तीन अज्ञात के विरुद्ध थाना फूलबेहड़ पर लूट की घटना की सूचना देकर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर कासिम अली के मकान (महेवागंज में स्थित) से घटना से सम्बन्धित 2,50,000/ रुपये को बरामद कर लिया गया है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर फर्जी तरीके से घटना को प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में धारा 195/211/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- कासिम अली पुत्र लायक अली निवासी ग्राम गौरा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी, हाल पता- महेवागंज थाना को0 सदर जनपद खीरी
2- जानू अली पुत्र कासिम अली निवासी ग्राम गौरा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी, हाल पता महेवागंज थाना को0 सदर जनपद खीरी

बरामदगी-

एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में 2,50,000/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना फूलबेहड़, श्री बलवन्त शाही
2. चौकी प्रभारी सुन्दरवल, उ0नि0 जितेन्द्र बहादुर सिंह
3. उ0नि0 अंकुर कुमार, थाना फूलबेहड़
4. क्राइम ब्रान्च प्रभारी, उ0नि0 शिव कुमार
5. हे0का0 अविनाशचन्द्र
6. का0 मनजीत सिंह
7. का0 मोहम्मद रिजवान
8. म0का0 गुड़िया चौधरी

थाना शारदानगर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त अक्षय लाल पुत्र कन्हाई लाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों के निर्माण,बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.03.23 को थाना शारदानगर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बोर बरामद करके 01 नफर अभियुक्त अक्षय लाल पुत्र कन्हाई लाल निवासी राजापुर गडौसा थाना शारदानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना शारदानगर पर मु0अ0सं0 25/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अक्षय लाल पुत्र कन्हाई लाल निवासी राजापुर गडौसा थाना शारदा नगर खीरी

बरामदगी का विवरण-

01 अदद तमंचा 315 बोर
02 अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हनुमंत लाल तिवारी, थाना शारदानगर खीरी
2. हे0का0 राजीव यादव, थाना शारदानगर जनपद खीरी
3. हे0का0 इसराक खां, थाना शारदानगर जनपद खीरी
4. हे0का0 सुनील यादव थाना शारदानगर जनपद खीरी

<u>थाना गोला पुलिस द्वारा, 15 ग्राम नशीला पाउडर(अल्प्राशेफ) बरामद करके अभियुक्त हुसैन अली उर्फ लम्बू को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.03.2023 को थाना गोला पुलिस द्वारा अभियुक्त हुसैन अली उर्फ लम्बू पुत्र मुस्तफा अली नि0 काशीराम कालोनी मकान न0 140 कस्बा व थाना गोला जनपद खीरी को 15 ग्राम नशीला पाउडर (अल्प्राशेफ) के साथ वहद मो0 तीर्थ थाना गोला खीरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना गोला पर मु0अ0स0 102/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -</u>
हुसैन अली उर्फ लम्बू पुत्र मुस्तफा अली नि0 काशीराम कालोनी मकान न0 140 कस्बा व थाना गोला जनपद खीरी

<u>बरामदगीः-</u>
नशीला (अल्प्राशेफ पाउण्डर) 15 ग्राम

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>
1. उ0नि0 पवन प्रताप सिंह,थाना गोला
2. का0 गजेन्द्र सिंह
3. का0 कपिल रावल
4., का0 इकलाश हुसैन

थाना गोला पुलिस द्वारा, 1.380 किग्रा अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त अरुन कुमार पुत्र रमेशचन्द्र को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.03.2023 को थाना गोला पुलिस द्वारा अभियुक्त अरून कुमार पुत्र रमेशचन्द्र नि0 ग्राम रहेरिया थाना गोला खीरी के कब्जे से 1.380 किग्रा अवैध गांजा बरामद करके नहरपुल अलीगंज रोड़ थाना गोला खीरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरूद्ध थाना गोला पर मु0अ0सं0 101/2023 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरून कुमार पुत्र रमेशचन्द्र नि0 ग्राम रेहरिया थाना गोला खीरी

बरामदगीः-

1.380 किग्रा अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सतीश चन्द्र यादव
2. का0 आशीष कनौजिया
3. का0 विशाल गौतम

<u>थाना गोला पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त जाबिर पुत्र लाला उर्फ मोहम्मद रफी को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों के निर्माण,बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.03.23 को थाना गोला पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बोर बरामद करके अभियुक्त जाबिर पुत्र लाला उर्फ मोहम्मद रफी निवासी ग्राम कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी को अलीगंज रोड़ वहद ग्राम कालीचरनपुर थाना गोला खीरी से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना गोला पर मु0अ0सं0 100/23 धारा 3/25 ए आर्म्स एक्ट में पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

जाबिर पुत्र लाला उर्फ मोहम्मद रफी निवासी ग्राम कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी

<u>बरामदगीः-</u>

01अदद तमंचा 12 बोर

01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 अनेक पाल सिंह
2. का0 अनुज सागर
3. का0 मोहित कुमार
4. का0 वीरेन्द्र सिंह

<u>थाना खीरी पुलिस द्वारा, चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अदद मोटरसाइकिल सहित अभियुक्त जितेन्द्र सिंह उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.03.2023 को थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 95/2023 धारा 379/411 भादवि0 का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त जितेन्द्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र शशिकांत सिंह उर्फ दुकानदार नि0 ग्रा0 सैदापुर करनपुर थाना खीरी जनपद खीरी को 01 अदद मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>
जितेन्द्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र शशिकांत सिंह उर्फ दुकानदार नि0 ग्रा0 सैदापुर करनपुर थाना व जनपद खीरी

<u>बरामदगी-</u>
01 अदद मोटरसाइकिल

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -</u>
1. उ0नि0 लाल जी, थाना व जनपद खीरी
2. उ0नि0 शिव बहादुर, थाना व जनपद खीरी
2. उ0नि0 मलखान सिंह, थाना व जनपद खीरी
3. हे0 का0 हरीलाल गौतम, थाना व जनपद खीरी

<u>थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त सफी पुत्र मोहर्रम अली को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा एसटी नं- 216/19 धारा 394/397 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त सफी पुत्र मोहर्रम अली निवासी खमरिया थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
सफी पुत्र मोहर्रम अली निवासी खमरिया थाना तिकुनिया जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>
1. उ0नि0 राजकुमार भारती
2. हे0का0 सुभाष निषाद
3. का0 गौरव कुमार

थाना निघासन पुलिस द्वारा, 02 नफर वांछित अभियुक्त व 02 नफर वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0स0 106/2023 धारा 498ए/304 बी/323/504 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.कल्लू उर्फ शिवप्रकाश पुत्र लल्लन 2. लल्लन पुत्र बंशी 3. लक्ष्मी देवी पत्नी लल्लन 4. प्रीती पुत्री लल्लन निवासीगण ग्राम दुलही थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 बाबूराम (चौकी प्रभारी ढखेरवा),थाना निघासन
2. हे0का0 जयचन्द्र थाना निघासन
3. हे0का0 राजबहादुर थाना निघासन
4. का0 नीरज कुमार थाना निघासन
5. म0का0 कल्याणी देवी थाना निघासन
6. म0का0 दीक्षा थाना निघासन

थाना खीरी पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त करन उर्फ उमेश व 01 नफर बाल अपचारी अभियुक्त को गिरफ्तार कियाग गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 91/2023 धारा 376D भादवि0 में वांछित अभियुक्त 1.करन उर्फ उमेश पुत्र पवितर नि0 ग्रा0 जमुनिहा थाना खीरी जनपद खीरी 2. बाल अपचारी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1. करन उर्फ उमेश पुत्र पवितर नि0 ग्रा0 जमुनिहा थाना खीरी जनपद खीरी
2. बाल अपचारी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -</u>

1. प्र0नि0 दिनेश सिंह, थाना व जनपद खीरी
2. उ0नि0 संतलाल यादव थाना व जनपद खीरी
2. का0 सतेन्द्र कुमार थाना व जनपद खीरी
3. का0 माइकल थाना व जनपद खीरी

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण

1. थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 2417/15 धारा 394/411 भादवि में वारण्टी अभियुक्त रिहान पुत्र नसरत निवासी पठाननपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध वृहद स्तर पर कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 726 लीटर अवैध शराब, 13 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 49 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा इस अभियान के तहत पुलिस टीम का गठन किया गया है जिनके द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र के गांवों में दबिश देकर अवैध शराब का निर्माण करने वालों को गिरफ्तार करके मौके पर भारी मात्रा में लहन नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही

करते हुए 726 लीटर अवैध कच्ची शराब, 13 अवैध शराब भट्ठी व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर 49 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया है।